332/V8/2-12 13 6/ACSP/17

पत्र संख्या–904(1)/18–2–39(पर्या)/2014टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

228/PSSP/18
VS(4)

पर्यावरण अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 8 जनवरी, 2018

15/1/18
(नीना शर्मा)
सचिव
नियोजन विभाग
उ० प्र० शासन

विषयः– कृषकों द्वारा कृषि अपशिष्ट जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु राज्य जैव ऊर्जा नीति के प्राविधानों के अनुसार बायो ब्रिकेट्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 118/2013 विकान्त कुमार तोंगड़ बनाम पर्यावरण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) दिल्ली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 जिसके सुसंगत अंश निम्नानुसार हैः–

" ....a. The National Policy for Management of Crop Residue, 2014 prepared by the Ministry of Agriculture, Government of India shall in conjunction with the Action Plan prepared by the States of Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab shall be implemented in all these States now, without any default and delay.

...........c. Every State Government to this application shall evolve the mechanism for collection of crop residue, its transportation and utilization for appropriate purposes. Such mechanism shall be implemented directly under the control of the State Authorities. ...."

12-01-2018
(राम नरेश शर्मा)
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उ० प्र० शासन

इस सम्बन्ध में बायो ब्रिकेट का उद्योगों/भट्टों आदि में प्रयोग को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दि0 05.01.2018 को आदेश निर्गत किये गये हैं कि उद्योगों/भट्टों आदि को निर्गत की जाने वाली वायु सहमति में यह शर्त लगायी जाय कि उद्योगों में स्थित कोल/ब्वायलरों/भट्टियों/ईट भट्टों आदि में ईधंन के रूप में कम से कम 20 प्रतिशत बायो ब्रिकेट का प्रयोग उपलब्धता के अनुरूप किया जाये।

उ0प्र0 राज्य में बायो कोल/ब्रिकेट का उत्पादन किये जाने हेतु इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं तथा उद्योगों एवं ईट भठ्ठों में बायो कोल/ब्रिकेट का ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने से कृषि अपशिष्ट का बायो कोल एवं ब्रिकेट उत्पादन हेतु प्रयोग किया जा सकेगा जो कि " वेस्ट टू वेल्थ " सिद्धांतों के अनुरूप होगा। बायो कोल/ब्रिकेट इकाइयों द्वारा कृषि अपशिष्टों का कृषकों

(सुरेन्द्र प्रसाद)
निजी सचिव,
विशेष सचिव, नियोजन विभाग
उ० प्र० शासन

सं0-831
24/01/18

(पी० एस० ओझा)
राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड
नियोजन विभाग, उ0प्र0

से क्रय किये जाने से एक ओर तो कृषकों की आय में वृद्धि होगी तथा वहीं दूसरी ओर कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने पर भी रोक लगेगी एवं वायु प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत इस संबंध में संबंधित विभागों से समन्वयन स्थापित करने हेतु बायो ब्रिकेट्स प्लाण्ट्स की स्थापना कराने तथा उनका प्रयोग उद्योगों में किए जाने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया उद्योगों एवं ईट भट्ठों में बायो कोल एवं ब्रिकेट के उपयोग के सम्बन्ध में उक्तानुसार लगायी गयी शर्त के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए इसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संदर्भ संख्या–904(1)/18–2–39(पर्या)/2014टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड के माध्यम से बायो कोल ब्रिकेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, 5वां तल, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग/प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

आज्ञा से
8/1/15
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव